राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक : एफ17(8)26/डीईएस/रा.ज.आ.यो./सत्यापन/2020/ दिनांक : 15.04.2021

परिपत्र–3

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने के लिये लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन के लिये निर्धारित दस्तावेजों में जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या आवश्यक है। ये रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 से आरम्भ हो चुके है।

दिनांक 01.04.2021 से लागू नवीन व्यवस्था के तहत प्रथम सत्यापन के कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रो के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त अधिकृत है तथा द्वितीय सत्यापन के कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए उपखण्ड अधिकारी पदाभिहित हैं। आवेदक द्वारा दी गयी सूचना का सत्यापन, प्रथम एवं द्वितीय सत्यापक अधिकारियों द्वारा 10–10 दिवस की निर्धारित अवधि में किया जा रहा है। इसमें कतिपय मामलों में सत्यापक अधिकारियों के स्तर पर विलम्ब हो जाता है, जिससे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ही अन्य योजनाओं के रजिस्ट्रेशन में भी आमजन को परेशानी हो रही है।

अतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राज्य की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन एवं लाभ आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी रुप से शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं :–

1. जन आधार पोर्टल से एकीकृत समस्त जन–कल्याणकारी योजनाओं में निर्बाध पंजीकरण एवं लाभ हस्तांतरण हेतु जन आधार कार्ड संख्या जारी होने तक जन आधार नामांकन रसीद संख्या (EID) का उपयोग मान्य होगा।
2. सत्यापक अधिकारियों के द्वारा निर्धारित समयावधि में सत्यापन न किये जाने पर मानित सत्यापन (Deemed Verification) की व्यवस्था, इस शर्त के साथ कि मानित सत्यापन (Deemed Verification) के प्रकरणो में त्रुटिपूर्ण पायी गयी सूचनाओं की जवाबदेही संबंधित सत्यापक अधिकारी की ही रहेगी, लागू की जाती है।

15/4

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव
एवं अध्यक्ष,
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक : एफ17(8)26 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / सत्यापन / 2020 / दिनांक :15.04.2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयुपर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
8. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान।
9. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार मानित सत्यापन (Deemed Verification) की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करावें।
10. अतिरिक्त निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
11. उप / सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त राजस्थान।
12. एस.ए. / एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिला मुख्यालय।
13. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
14. उपखण्ड अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
15. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी / प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक